न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 86/2011 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या– 2011/00023

उनवान

1. रामस्वरूप पुत्र देवीराम जाति लोधा निवासी पांडुरी तहसील रूपवास जिला भरतपुर। .....अपीलांट।

बनाम

1. उमराव सिंह
2. चोब सिंह
3. कुँवर सिंह
4. थान सिंह
5. पूरन सिंह
6. शिव सिंह
7. प्रताप सिंह

पुत्रान रामप्रसाद जाति लोधा नि0 पांडुरी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास दिनांक 18.08.2011 उनवानी रामस्वरूप बनाम उमराव सिंह मु0न0 125/11

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री हेमराज शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री चन्द्रमोहन गुप्ता उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक :– 06.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के आदेश दिनांक 18.08.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/प्रार्थी की ओर से रैस्पो0/अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम पाण्डुरी

तहसील रूपवास में स्थित है। जिसका अपीलाण्ट/प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। विवादित आराजी पर प्रार्थी बदस्तूर काश्त करता चला आ रहा है लेकिन रिकार्ड में गैर मुमकिन दर्ज है। जबकि उक्त विवादित आराजी का पूर्व में मनवट के आधार पर विभाजन हो चुका था तथा नक्शा ट्रेस में विभाजन तरमीम हो चुका है। इस प्रकार अपीलाण्ट/प्रार्थी उक्त आराजी का न्यारानूर खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। रैस्पो0/अप्रार्थीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। रैस्पो0/अप्रार्थीगण एक लठैत व्यक्ति हैं उनकी नीयत में बदयान्ती आ गई है एवं वह अपीलाण्ट/प्रार्थी को उक्त आराजी से बेदखल करना चाहते हैं। यदि रैस्पो0/अप्रार्थीगण अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो अपीलाण्ट/प्रार्थी को अपूणनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 की प्राथमिक आपत्ति है कि अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद खारिज हो चुका है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम की अपील संधारणीय नहीं है। अपने तर्को के समर्थन में प्रार्थना पत्र आदेश 41 रूल 27 जा0दी0 के साथ अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास के निर्णय दिनांक 29.10.2014 व नकल अर्जीदावा की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की जाकर, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का तर्क है कि अपीलाण्ट का 09 रूल 09 का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र के तय होने तक दावा खारिजी आदेश दिनांक 29.10.2014 का प्रभाव स्थगित माना जावेगा। अतः अपील का मैरिट पर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जबावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि दावा खारिजी आदेश दिनांक 29.10.2014 से दिनांक 12.04.2018 तक अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी बाबत् कोई वाद विचाराधीन नहीं था। यदि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र 09 रूल 09 प्रस्तुत भी किया है तो वह रैस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने के दिनांक 12.04.2018 के बाद दिया होगा। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट ने कथित प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि आदि प्रस्तुत नहीं किया है, बिना दस्तावेजी साक्ष्य अपीलाण्ट के कथन सारपूर्ण नहीं है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। रैस्पो0 ने प्रार्थना पत्र 41 रूल 27 जा0दी0 के साथ अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 29.10.2014 व नकल अर्जीदावा की सत्य प्रतिलिपी प्रस्तुत की गयी हैं। रैस्पो0 का उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई उभयपक्ष दिनांक 12.07.2018 को स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट को रिवटल का मौका दिया गया। अपीलाण्ट के पास समुचित समय था कि वह अपने कथन कि ''अधीनस्थ न्यायालय में 09 रूल 09 का प्रार्थना पत्र विचाराधीन है'' के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य पेश करते, परन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। विचाराधीन अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित आदेश के विरूद्ध है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ता फैसला वाद ही प्रभावी होता है। रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत नकल आदेश दिनांक 29.10.2014 व अर्जीदावा से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद का निस्तारण दिनांक 29.10.2014 को हो चुका है, जब मूल वाद ही अस्तित्व में नहीं है तो अपीलाधीन आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है एवं इसके विरूद्ध विचाराधीन अपील भी प्रभावहीन हो जाती है।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट, प्रभावहीन होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 06.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official